

न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार, गडरारोड़

राजस्व प्रकरण सं.

अर्न्तगत धारा 91 आर. एल. आर. एक्ट 1956

सायल

बनाम

गैर सायल

राजस्थान सरकार

श्री हुटलाखा पुत्र श्री जाकबख्शा

जरिये पटवारी हल्का

कौम मंजुगिथार निवासी शिराव

तहसील गडरारोड़ जिला बाइमेर

“निर्णय”

दिनांक 10/04/2018

पत्रावली आज बमुकाम व्याजी बजा में पेश हुई गैर सायल उपस्थिति। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का द्वारा ने धारा आर. एल. आर. एक्ट 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है। कि गै. सा. ने मौका हुटलाखा के खसरा नं. 140 रकबा 6.56.15 बीघा 1.00 में से 1.00 बीघा किस्म राजकीय राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण काष्ठ/कब्जा किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर. एल. आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ / और गैर सायल ने उपस्थित होकर पटवारी की रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमण करना स्वीकार किया।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन कराने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि पर से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान दर रुपये 50 पैसे गुणा जुर्माना राशि रुपये 50 पूर्णांक में 50 रुपये पचास रुपये अक्षरे रु. पचास रुपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

निरीक्षक भू.अ. वृत पचास रुपये को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर खड़ी फसल को तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर फसल निलामी फर्द वास्ते अनुमादनार्थ एवम् स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश करे।

पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भैतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करें।

टी.आ.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी.आर. ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक 10/04/2018 को सरेआम सुनाया गया।

जुर्माना 50/- फसल नि. पचास रुपये
कुल योग 50/- जि.के पृष्ठ सं. 25
वर्ष 2018-19 में इन्द्राज किया गया।

पचास रुपये
नियंत्रण लेखाकार

तहसीलदार गडरारोड़
जिला-बाइमेर